



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4460]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 12, 2018/कार्तिक 21, 1940

No. 4460]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 12, 2018/KARTIKA 21, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2018

का.आ. 5675 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अधीन अथवा उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को नियुक्त करती है।

यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 79/2018/फा.सं. 370149/194/2017-टीपीएल]

प्रवीण रावल, निदेशक (कर नीति और विधान)